

उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल
अग्रिम अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 515/2023

तरणवीर सिंह कंबोज

..... आवेदक

बनाम

उत्तराखंड राज्य

..... प्रत्यर्थी

उपस्थित:-

श्री विपुल शर्मा, आवेदक के अधिवक्ता।

श्री अमित भट्ट, राज्य के डी. ए. जी.।

माननीय रविन्द्र मैठाणी , न्यायाधीश (मौखिक)

आवेदक एफ.आई.आर. संख्या 230/2023 पुलिस स्टेशन खटीमा, जिला उधम सिंह नगर में धारा 323, 326, 504, 506 आई.पी.सी. के तहत, अग्रिम जमानत चाहता है।

2. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।

3. एफ.आई.आर. के अनुसार, मुखबिर का भगवान सिंह और जसपाल सिंह के साथ कुछ विवाद था। लेकिन, आवेदक और उसके पिता भगवान सिंह और जसपाल सिंह का समर्थन कर रहे थे। एफ़. आई. आर. में कहा गया है कि दिनांक 04.06.2023 को लगभग 4:00-5:00 बजे अपराह्न, जब सूचना देने वाला अपने खेत की ओर बढ़ रहा था, तो आवेदक और सह आरोपी ने उस पर लाठी और डंडे से हमला किया और उसे जान से मारने की धमकी भी दी।

4. आवेदक के विद्वान वकील ने कहा कि घायलों पर मात्र तीन चोटें दर्ज की गई थीं। दो दांत अपनी जगह से निकाले गए थे और होंठ के हिस्से पर हल्का सा कटा हुआ घाव था। विद्वान वकील का कहना था कि आवेदक के पिता को पहले ही निचली अदालत से नियमित

जमानत मिल चुकी है। सूचक आवेदक का सगा चाचा है। उनका पारिवारिक संपत्ति विवाद है, जो इस स्तर तक बढ़ गया है।

5. विद्वान राज्य वकील इन तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर विवाद नहीं करते हैं।
6. सम्पूर्ण तथ्यों पर विचार करने के बाद, इस न्यायालय का विचार है कि यह अग्रिम जमानत के लिए उपयुक्त मामला है।
7. अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
8. गिरफ्तारी की स्थिति में, आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा, बशर्ते वह जांच अधिकारी की संतुष्टि के लिए दो समान राशि के प्रतिभूतियों के साथ एक व्यक्तिगत मुचलका प्रस्तुत करे। इसके अलावा, आवेदक निम्नलिखित शर्तों का भी पालन करेगा:

- (i) आवेदक जाँच में सहयोग करेगा।
- (ii) आवेदक किसी भी तरह से किसी भी गवाह/पीड़ित से संपर्क नहीं करेगा।
- (iii) आवेदक संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेगा।
- (iv) आवेदक अपना पासपोर्ट आई. ओ. के पास जमा करेगा। पासपोर्ट मात्र संबंधित न्यायालय के आदेश से ही वापस किया जा सकता है। यदि आवेदक के पास पासपोर्ट नहीं है, तो वह आई. ओ. को इस संबंध में एक वचन पत्र देगा।
- (v) आवेदक उपरोक्त (i), (ii) और (iii) पर एक वचन पत्र भी देगा।

(रवींद्र मैठाणी, जे.)

07.11.2023

जितेंद्र